

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 37227/1994

श्रीपति

.....याचिकाकर्ता

बनाम

डी.डी.सी. एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कुणाल रवि सिंह, मंजरी सिंह, आर.एस. मौर्या, राहुल जैन

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: डॉ. विनोद कुमार राय, के.बी. गर्ग, एस.सी., संकठा राय, वी.के. सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

मामले में : सिविल प्रकीर्ण प्रतिस्थापन आवेदन संख्या 4/2019

2. वर्तमान प्रतिस्थापन आवेदन मृतक याचिकाकर्ता संख्या 1/2 (शिवजी वर्मा) के वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए दायर किया गया है।
3. प्रतिस्थापन आवेदन का कोई विरोध नहीं है।
4. तदनुसार, प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार किया जाता है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1/2 का नाम हटा दिया जाए और उनके वारिसों तथा कानूनी प्रतिनिधियों को वर्तमान रिट याचिका के बाद शीर्षक (काँज टाइटल) में क्रमशः याचिकाकर्ता संख्या 1/2/1 से 1/2/2 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए।

मामले में: सिविल प्रकीर्ण वापसी आवेदन संख्या 5/2025

5. वर्तमान वापसी आवेदन याचिकाकर्ताओं की ओर से रिट याचिका वापस लेने के लिए दिया गया है।
6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बदली हुई परिस्थितियों में याचिकाकर्ता रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं, इसलिए, वर्तमान वापसी आवेदन को स्वीकार किया जाए और रिट याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाए।
7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है।
8. इस प्रकार, वर्तमान वापसी आवेदन एतद्वारा स्वीकार किया जाता है।

मामले में: रिट याचिका

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वापसी आवेदन में आज पारित आदेश के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.के.जी.